

Seventeenth Loksabha

pan>

Title: Introduction of the Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2020 (Amendment of Section 12).

डॉ. संजय जायसवाल (पश्चिम चम्पारण): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

HON. CHAIRPERSON : The question is:

“That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.”

The motion was adopted.

डॉ. संजय जायसवाल: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।